



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112022-240033
CG-DL-E-04112022-240033

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4909]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2022/कार्तिक 13, 1944

No. 4909]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2022/KARTIKA 13, 1944

रेल मंत्रालय

अधिसूचना

रेल अधिनियम 1989 की धारा 20ए के तहत

छत्तीसगढ़, 2 नवम्बर, 2022

का.आ. 5128(अ).—रेल अधिनियम 1989 की धारा 20ए की उपधारा (1) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (89 का 24) केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संतुष्ट होने के बाद ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त वर्णन संलग्न अनुसूची में दिया गया है, जो कि विशेष रेल परियोजना अर्थात् गवरारोड से पेण्डारोड नई लाइन परियोजना (135 किमी) (कोरबा जिला) के, छत्तीसगढ़ राज्य में निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है, उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन एवं उपयोग के संबंध पर आक्षेप कर सकेगा; ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, यानि अतिरिक्त कलेक्टर, कोरबा को जिलाधीश कार्यालय, कोरबा, छत्तीसगढ़ को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित किये जायेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो तो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा; उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा; इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक एवं अन्य ब्योरे उपलब्ध है हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची							
छत्तीसगढ़ राज्य में रेल लाईन—विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, गेवरारोड से पेण्ड्रारोड (135 किमी) (कोरबा जिला) के लिए अधिग्रहण किए जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण:—							
जिला का नाम:— कोरबा				जिला का नाम:— कोरबा			
तहसील का नाम:— कटघोरा				तहसील का नाम:— कटघोरा			
क.	ग्राम का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे०)	क.	ग्राम का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे०)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मड़वाढोढ़ा	1/4	0.220				
2	पुरेना	146/1	0.550	2	पुरेना	111	0.020
		163/1	0.114			316 329/3	0.008
		164	0.040			320	0.016
		160/2	0.016			329/5	0.040
3	ढूरेना	42	0.020	3	ढूरेना	37/4	0.020
4	दीपका	13/8, 37/8 38/8, 39/8	0.106	4	दीपका	416/98	0.020
5	देवगांव	551/1	0.080	5	देवगांव	552/2/क	0.109
		552/1/क	0.065			2	0.012
6	कोलिहामुड़ा	82/2 83/2 86/2	0.069				

7	डोंगरी	206/1ख 217/2 ख 221/2	0.028				
8	जवाली	741/1	0.266				
तहसील का नाम:— पाली							
9	मदनपुर	350/22	0.265				
10	नौनबांका	159/6 162/10	0.062 0.150	10	नौनबांका	160/3	0.034
		160/1	0.285			162/9	0.083
						164/3	0.057
तहसील का नाम:— पोंडीउपरोड़ा							
11	कोरबी	38/2	0.243				
12	मल्दा	703 704/3	0.202				

कुल भूमि — 3.200 हे०

[फा. सं. सी.ए.ओ./सि/बी.एस.पी/ईस्ट-वेस्ट रेल कॉरीडोर/1113]

आर.एन.सुनकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण द.पू.म. रेलवे, बिलासपुर

MINISTRY OF RAILWAYS**NOTIFICATION****Notice under Section 20 A of the Railways Act 1989**

Chhattisgarh, the 2nd November, 2022

S.O. 5128(E).—In exercise of Powers conferred by sub section (1) of section 20A of the Railways Act 1989 (24 of 89) (hereinafter referred as the said act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for execution of Special Railway project, namely Gevroad To Pendroad (135 Km) in the state of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land; Any person interested in the said land may, within a period of 30 days for the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said act; Every objection shall be made to the competent Authority, namely, Additional Collector, Korba, Collectorate office, Korba, Chhattisgarh in writing, and shall set out ground thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections; Any order made by the Competent Authority under sub-section(2) of section 20D of the said Act shall be final; The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE							
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway project, namely, Gevroad To Pendroad New Rail Line Project (135 Km) (for Korba District) in the State of Chhattisgarh.							
Name of District : Korba				Name of District : Korba			
Name of Tahsil : Katghora				Name of Tahsil : Katghora			
No.	Name of Village	Khasra No.	Area (in Hect.)	No.	Name of Village	Khasra No.	Area (in Hect.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Madwadho	1/4	0.220				
2	Purena	146/1	0.550	2	Purena	111	0.020
		163/1	0.114			316 329/3	0.008
		164	0.040			320	0.016
		160/2	0.016			329/5	0.040
3	Dhurena	42	0.020	3	Dhurena	37/4	0.020
4	Dipka	13/8, 37/8 38/8, 39/8	0.106	4	Dipka	416/98	0.020
5	Devgaon	551/1	0.080	5	Devgaon	552/2/ka	0.109
		552/1/ka	0.065			2	0.012
6	Kolihamuda	82/2 83/2 86/2	0.069				
7	Dongri	206/1 kha 217/2 kha 221/2	0.028				
8	Jawali	741/1	0.266				
Name of Tahsil : Pali							
9	Madanpur	350/22	0.265				
10	Nanbanka	159/6 162/10	0.062 0.150	10	Nanbanka	160/3	0.034
		160/1	0.285			162/9	0.083
						164/3	0.057

Name of Tahsil : Podiuproda				
11	Korbi	38/2	0.243	
12	Malda	703 704/3	0.202	

Total Land:- 3.200 Hectare

[F. No. CAO/C/BSP/East West Rail Corridor/1113]

R.N. SUNKAR, Chief Administrative Officer, Con. S.E.C.R., Bilaspur